EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page No. 1371—1377

Dated 1-9-2012

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2012

सा.का.नि. 221.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हिन्दी अधिकारी, सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन भर्ती नियमावली, 1994 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, समंक विधायन प्रभाग तथा सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, समंक विधायन प्रभाग तथा सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग, सहायक निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण तथा उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (राजभाषा)	2* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600—39100 रु. और ग्रेड वेतन 5400 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति :** वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. और ग्रेड वेतन 4200 रु. में ऐसा कनिष्ठ अनुवादक, जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी,— (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. ग्रेड वेतन 4600 रु. में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; (iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. ग्रेड वेतन 4200 रु. में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है, और (ख) जिनके पास निम्नलिखित में शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री ।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री ।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी माध्यम से और बैचलर डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री ।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से और बैचलर डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और

(ii) हिन्दी में शब्दावली कार्य का और अंग्रेजी से हिन्दी में अथवा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का पांच वर्ष का अनुभव, जिसमें तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य संबंधी कार्य को अधिमनता दी जाएगी ।

वांछनीय :

(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुलय स्तर पर संस्कृत और/या संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित हिन्दी के अलावा किसी अन्य भाषा का ज्ञान;

(ii) टिप्पण और प्रारूपण के लिए हिन्दी कक्षाओं या टिप्पण और प्रारूपण कार्यशालाओं के आयोजन का एक वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) :— 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक, समंक विधायन प्रभाग —सदस्य 3. उप-सचिव (प्रशासन), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय —सदस्य 4. उप निदेशक (राजभाषा), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय —सदस्य	पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-12018/1/2010-प्रशा. III]
एस. के. राय, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2012

G.S.R. 221.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Hindi Officer, Survey Design and Research Division, National Sample Survey Organisation, Recruitment Rules, 1994 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Official Language) in the Data Processing Division and Survey Design and Research Division, National Sample Survey Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Statistics and Programme Implementation, National Sample Survey Office, Data Processing Division and Survey Design and Research Division, Assistant Director (Official Language), Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of the said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, educational and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

4. **Disqualifications.** —No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether selection or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director (Official Language)	2* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600—39100 plus Grade Pay Rs. 5400	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation to be made
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation	**Promotion :** Junior Translator in the Pay Band-2, Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4200 with eight years of regular service in the grade. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **Deputation :** Officers of the Central Government :— (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or

3289 GPI/12—2

(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regualr basis in posts in the Pay Band-2, Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre/department; or

(iii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-2, Rs. 9300—34800 with Grade Pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre/department; and

(b) possessing the following educational qualfications and experience.

Essential :

I. Master's degree of a recognised University or equivalent in Hindi with English as a subject at Bachelor's degree level;

or

Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a subject at Bachelor's degree level;

or

Master's degree of a recognised University in any subject with Hindi and English as subjects at Bachelor's degree level;

or

Master's degree of a recognised University in any subject with Hindi medium and English as a subject at Bachelor's degree level;

or

Master's degree of a recognised University in any subject with English medium and Hindi as a subject at Bachelor's degree level; and

II. Three years' experience of translation work from Hindi to English and vice-versa, preferably of technical and scientific literature.

Desirable :

(i) Knowlegde at the level of Matriculation of a recognized Board or equivalent of Sanskrit and/or any language other than Hindi mentioned in Eighth Schedule of the Constitution.

(ii) One year experience of organising Hindi classes or workshops for noting and drafting.

Note 1 : The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall

(11)
not be exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.
Note 3 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion) :— 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Deputy Director General, Data Processing Division —Member 3. Deputy Secretary (Administration), Ministry of Statistics and Programme Implementation —Member 4. Deputy Director (Official Language), Ministry of Statistics and Programme Implementation —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up the post.

[F. No. A-12018/1/2010-Adm. III]

S. K. ROY, Under Secy.

MGIPRRND—3289 SPI/12—100 Copies.